न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 39/2025

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए

मनजिन्द्र कौर पुत्री श्री गोपाल सिह पत्नी श्री गुरमीत सिह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया हाल आबाद नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रार्थीया

बनाम

1. जसविन्द्र सिह पुत्र श्री गुरदयाल सिह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
2. बलविन्द्र सिह पुत्र श्री गुरदयाल सिह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया।
3. कुलविन्द्र कौर पुत्री गोपाल सिह पत्नी जगतार सिह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया हाल आबाद हाउस नम्बर 4 गुरू नगर वार्ड नम्बर 6 गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया तथा अप्रार्थीया संख्या 3 सगी बहने है। जिनके नाम से तहसील संगरिया के चक 8 बीजीपी खाता संख्या 140/2 खाता कुलविन्द्र कौर वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प.न. 200/147 मु.न. 17 किला नं. 14,15,16,17,18,23 कुल 1.518 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी प्रार्थीया एवं अप्रार्थीया संख्या 3 मालिक एवं काबिज है। जिसमे आने–जाने के लिए अर्थात आवागमन के लिए कोई मन्जूर शुदा रास्ता नहीं है जिसकी वजह से प्रार्थीया अपनी आराजी में सही ढ़ंग से काश्त नहीं कर सकती प्रार्थीया को अपनी आराजी में आने–जाने/काश्त करने के लिए मन्जूर शुदा रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थीया, अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कृषि भूमि में से चक 8 बीजीपी प.न. 200/147 मु.न. 17 किला नं. 19 मे से 0.025 है. किला नं. 20 मे से 0.025 है. किला नं. 11 व 12 से चिपता हुआ पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत कर इसी अनुसार चालु करवाये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के अकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1686 दिनांक 16.06.2025 द्वारा प.न. 200/147 मु.न. 17 के किला नं. 19, 20 में रास्ता दिया जाना व प्रार्थीया के पास आवेदित रास्ते के अलावा कोई विकल्प नही होना एवं पक्षकार आपस मे सहमत नही होना तथा प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा करते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट आदि का अवलोकन/मनन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी को रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंधिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 8 बीजीपी प.न. 200/147 मु.न. 17 किला न. 19,20 प्रत्येक में किला नम्बर 11 व 12 से चिपता हुआ पूर्व से पश्चिम की ओर (16.5 फुट चौड़ा 2 बिघा लम्बा) रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थीया का उक्तानुसार रकबा जिससे अप्रार्थी का खेत खराब न हो इसलिए प.न. 200/147 मु.न. 17 किला नं. 18, 23 से कम कर अप्रार्थी के किला नम्बर 19, 22 के चिपता रकबा (नव स्वीकृत रास्ते के सामने की आराजी को छोड़कर) नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ. निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिशिचित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 5.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया